


तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI)

क्रियान्वयन निर्देशिका



द्वारा विकसित :

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
नया सचिवालय, विकास भवन, पटना

सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल
डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स), बिहार

The Union

तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु क्रियान्वयन निर्देशिका का निर्माण
The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)
के तकनीकी सहयोग से **Bloomberg Initiative Project** के तहत किया गया है।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI)
के दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु
क्रियान्वयन निर्देशिका
मार्च - 2022

विशेष जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा
पटना - 800023 (बिहार)
फोन - 0612-2292059, ई-मेल: ntcpbihar@gmail.com

सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल
डेवलॉपमेंट सोसायटी (सीड्स)
32, पुष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति, पो. शास्त्रीनगर
पटना - 800023 (बिहार)
फोन - 0612-2283666, ई-मेल: seedsbihar@gmail.com

विजय कुमार चौधरी

मंत्री

शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग
बिहार, पटना



Vijay Kumar Choudhary

Minister

Education & Parliamentary Affairs Dept.
Bihar, Patna



संदेश

जन स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू सेवन एवं उसके दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ-साथ शिक्षा विभाग की भी अहम भूमिका है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आंकड़ें सामने आए हैं, वह दर्शाता है कि भारत में 13-15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। बिहार में इस आयु वर्ग के 7.3 प्रतिशत छात्रगण भी किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं जो चिंतनीय है।

राज्य सरकार तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है। राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु जो पहल की जा रही है, उसमें शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को यह तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान "क्रियान्वयन निर्देशिका" तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता लाने में सहायक होगी।

शुभकामनाओं के साथ

(विजय कुमार चौधरी)

कार्यालय : विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना।

कार्यालय : 0612-2204904 (का.), फ़ैक्स : 0612-2215836, 0612-2216049 (आ.)

ईमेल : उपदपेजमतमकनबंजपवदबमसस/हउंपसणबवउ



संदेश


तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाये, यह स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। तम्बाकू सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें कैंसर सबसे प्रमुख है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण-2017 के अनुसार बिहार में 25.9 प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं, जिसमें अधिकतर लोग चबाने वाले तम्बाकू का सेवन अधिक करते हैं, जो मुँह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है।

बच्चों और अवयस्कों को तम्बाकू सेवन की लत से बचाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी आने वाली युवापीढ़ी को इसकी भयावहता से बचा सकें। इस हेतु तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षण संस्थानों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) की विभिन्न धाराओं का सख्ती से अनुपालन कराना ज़रूरी है।

राज्य सरकार तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्पित है, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) संयुक्त रूप से शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रयत्नशील है।

आशा है, सीड्स द्वारा **ToFEI Guidelines** के अनुरूप विकसित **क्रियान्वयन निर्देशिका** शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त सुनिश्चित करवाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।


(मंगल पाण्डेय)

संजय कुमार, भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव

Sanjay Kumar, I.A.S.
Additional Chief Secondary



शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
विकास भवन, पटना-800 015
EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
VIKAS BHAWAN, PATNA-800 015
Tel.: 0612-2217016 (O)
Fax : 2235108
Email: secy-edn-bih@nic.in



संदेश


तम्बाकू सेवन की आदत जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आकड़ें संकलित किये गये हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत में 13-15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं; वहीं बिहार में यह 7.3 प्रतिशत है, जो चिन्ता का विषय है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस-पास तम्बाकू उत्पाद जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन की व्यसन को बढ़ावा मिलता है। अवयस्क और युवा वर्ग तम्बाकू पर आधारित व्यापार एवं उद्योगों के निशाने पर होते हैं, यह हमारे लिए एक गंभीर समस्या है।

अवयस्कों और युवाओं को तम्बाकू की व्यसन से बचाने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज़ के दायरे में अवस्थित तम्बाकू उत्पाद के दुकानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस दिशा में राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, बिहार एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के प्रयास से **“तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान क्रियान्वयन निर्देशिका”** बनाया गया है। आशा है, यह निर्देशिका राज्य एवं जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में अहम् भूमिका निभायेगी, साथ ही बिहार के सभी जिलों के शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगी।

मेरी ओर से इन जनहितकारी प्रयासों के लिये शुभकामनायें।


(संजय कुमार)
अपर मुख्य सचिव



शुभकामना संदेश

हर साल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 रोगी तम्बाकू सेवन के कारण मरते हैं। लगभग 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में होता है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 13-15 वर्ष के 7.3 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। यह हमसब के लिए चिन्ता का विषय है।

तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के प्रभावी अनुपालन हेतु कटिबद्ध है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न प्रावधानों को शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाना है। कोटपा-2003 की धारा 6B के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान एवं उसका परिसर तम्बाकू मुक्त घोषित है तथा इसके 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।

राज्य तम्बाकू नियंत्रण कोषांग एवं सोशियो इकोनोमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई क्रियान्वयन निर्देशिका प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने में मददगार साबित होगी।

मेरी ओर से इन जनहितकारी प्रयासों के लिये शुभकामनायें।



(संजय कुमार सिंह)
कार्यपालक निदेशक

मनोज कुमार , भा०प्र०से०

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

Manoj Kumar, I.A.S.

Director (Secondary Education)



शिक्षा विभाग
विकास भवन, पटना-800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
EDUCATION DEPARTMENT
VIKAS BHAWAN, PATNA-800 015
Tel.: 0612-2215323
Email: directorse.edu@gmail.com




संदेश

बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं और वो तम्बाकू जैसी मीठी जहर के चपेटे में आ रहे हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) रिपोर्ट यह बताता है कि बिहार में 13-15 आयु वर्ग के 7.3 प्रतिशत किशोर छात्र तम्बाकू सेवन से ग्रसित हैं। इन्हें तम्बाकू की लत से बचाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह अतिआवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति में संस्थानों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने विशेष पहल से शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभायें।

दी यूनियन के तकनीकी सहयोग एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति और सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) के संयुक्त प्रयास से तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ToFEI) के पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस क्रियान्वयन निर्देशिका को विकसित किया गया है।

मुझे विश्वास है कि शैक्षणिक संस्थानों को "तम्बाकू मुक्त" बनाने एवं घोषित करने में प्रस्तुत क्रियान्वयन निर्देशिका सम्बंधित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी साधन (Tool) सिद्ध होगी।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के सफल क्रियान्वयन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।


(मनोज कुमार)

Dr Rana J Singh

Deputy Regional Director

The Union South East Asia

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

New Delhi- 110016.



MESSAGE

Tobacco in India kills more than 13.5 lakh people every year and most of them start using tobacco before the legal age of access to tobacco i.e. 18 years. Access and exposure to tobacco use before the age of 18 years is prohibited under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) and the Juvenile Justice Act 2015. To implement the provisions of the law, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India formulated detailed guidelines to make all educational institutions in the country tobacco free.

While 26% of all adults either smoke tobacco and or use smokeless tobacco in the state of Bihar, the prevalence of tobacco use among youth, aged 13-15 years, is 7.3%. Young girls are not only more prone to tobacco use than boys in the state, they are initiating tobacco use at an earlier age as well. The sooner a person starts using tobacco, the stronger their addiction, and more likely they are to become a lifelong user, compared to those who start later.

Educational institutions are in a uniquely powerful position to play a major role in reducing the serious problem of tobacco use among youth as children spend about one third of their day in schools or institutions. A positive and tobacco free environment at educational institutions will help youth remain tobacco free and prevent their experimentation with tobacco addiction.

These comprehensive operational guidelines developed by SEEDS in collaboration with Departments of Health and Education, Government of Bihar will help as a ready reckoner for the school and college staff to make their institutions tobacco free. These guidelines are an important step towards ensuring a tobacco-free environment in and around all educational institutions and therefore, creating a tobacco free future for the children of Bihar.



Dr Rana J Singh

प्रस्तावना

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आँकड़े संकलित किये गये हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत में 13–15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) की रिपोर्ट भारत में वर्ष 2018 में जारी की गयी। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि देश भर में तम्बाकू के उपयोग में 6 प्रतिशत की गिरावट हुई है। उक्त ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में विशेषकर बिहार राज्य में तम्बाकू सेवन करने वालों में 27.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। यह बिहार में तम्बाकू नियंत्रण प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है।

GATS–2 सर्वेक्षण में दिए गए संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि किशोरों और युवा वयस्कों में अभी भी तम्बाकू का उपयोग बहुत अधिक है, जो राज्य सरकार के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। तम्बाकू उद्योग या व्यापार में जुड़ी संस्थानों तरह–तरह के हथकंडे अपनाकर खास तौर पर बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करते हैं। तम्बाकू उद्योग के इन हथकंडों से बच्चों एवं युवाओं को बचाने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को निरंतर बढ़ाने और उसे बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई है।

शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान गाईडलाइन जारी किया गया था। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS–2) के रिपोर्ट के आधार पर उक्त गाईडलाइन की समीक्षा कर नई गाईडलाइन जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई और भारत सरकार ने 2019 में तम्बाकू मुक्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों के लिए पुनरीक्षित गाईडलाइन (ToFEI Guidelines) जारी किया।

ToFEI गाईडलाइन का प्रमुख उद्देश्य (i) शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता, (ii) तम्बाकू सेवन परित्याग के लिए उपलब्ध विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी, (iii) तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में स्थानीय प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन, (iv) शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित वैधानिक चेतानवी का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा (v) किशोर एवं युवा वर्ग में तम्बाकू नियंत्रण की गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

प्रस्तुत क्रियान्वयन निर्देशिका उपर्युक्त उद्देश्यों/अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध गतिविधियों से अवगत कराता है। इस दिशा–निर्देश (ToFEI Guidelines) को सभी शैक्षणिक संस्थान अर्थात् स्कूल, उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए महाविद्यालय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में लागू किया जाना है।

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के मार्गदर्शन में International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (दी यूनियन) के तकनीकी सहयोग से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार और सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी (सीड्स) द्वारा तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (ToFEI) के पुनरीक्षित दिशा–निर्देशों के अनुरूप इस क्रियान्वयन निर्देशिका को विकसित किया गया है।

आशा है कि शैक्षणिक संस्थानों को “तम्बाकू मुक्त” बनाने एवं घोषित करने में भारत सरकार द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशा–निर्देश (ToFEI Guidelines) के अनुरूप तैयार की गई प्रस्तुत क्रियान्वयन निर्देशिका सम्बंधित प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी साधन (Tool) साबित होगी।

मनोज कुमार, भा.प्र.से.
निदेशक (प्रशासन)—सह—विशेष सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विषय-सूची

संदेश	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	
1. तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता	1
2. तम्बाकू सेवन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव	2
3. तम्बाकू नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधान	3-4
4. तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु की जाने वाली गतिविधियां	5-13
5. तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के अनुपालन का स्व-मूल्यांकन	14
अनुलग्नक	
I) ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS-2019) बिहार	15-18
II) कोटपा-2003 की धारा 6 के अनुपालन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी	19
III) स्पॉट फाईन रसीद का प्रारूप	20
IV) शिक्षण संस्थानों में लिए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप	21
V) शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र का प्रारूप	22
VI) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु जारी संयुक्त निर्देश-पत्र	23-24
VII) अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु जारी निर्देश-पत्र	25-26

तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता

तम्बाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। हर साल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारी से 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन संतोष की बात है कि तम्बाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है।

यू तो तम्बाकू का उपयोग पूरी दुनियाँ के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन, आपको यह जान कर हैरानी होगी कि इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तम्बाकू उद्योग तरह-तरह के हथकंडे अपना कर खास तौर पर बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करते हैं। तम्बाकू उद्योग के इन हथकंडों से बच्चों एवं युवाओं को बचाने की जरूरत है।

तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) प्रारम्भ किया गया। NTCP के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के साथ ही तम्बाकू नियंत्रण हेतु अन्य गतिविधियों जैसे विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम, आईईसी गतिविधियां, सभी हितधारकों का क्षमतावर्धन एवं तम्बाकू विमुक्ति केंद्र के माध्यम से तम्बाकू सेवनकर्ताओं को परामर्श भी दिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के द्वितीय ग्लोबल ऐडल्ट टोबैको सर्वे (2017) के अनुसार भारत में 28.6 प्रतिशत वयस्क 42.4 प्रतिशत पुरुष एवं 14.2 प्रतिशत महिला तम्बाकू का सेवन करते हैं। जबकि, बिहार में 25.9 प्रतिशत वयस्क 43.4 प्रतिशत पुरुष एवं 6.9 प्रतिशत महिला तम्बाकू का सेवन करते हैं। जिसमें 23.5 प्रतिशत सुंघने या चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते हैं। प्रथम एवं द्वितीय ग्लोबल ऐडल्ट टोबैको सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में 27.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करवाने की कोशिश की जा रही है।

ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) द्वारा सम्पूर्ण विश्व में युवाओं द्वारा तम्बाकू सेवन से संबंधित जो आकड़ें संकलित किये गये हैं, वह यह दर्शाता है कि भारत में 13-15 वर्ष के 8.5 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का उपयोग कर रहे हैं। जबकि, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (2019) के आंकड़ों (अनुलग्नक-I) के मुताबिक बिहार में इस आयु वर्ग के 7.3 प्रतिशत छात्रगण किसी न किसी प्रकार के तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू आपदा को नियंत्रित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA) 2003 बनाया गया है। तम्बाकू नियंत्रण कानून, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, भण्डारण और वितरण का विनियमन) अधिनियम कोटपा, 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के युवाओं एवं जन-समूह को तम्बाकू उत्पाद की पहुंच से रोकना, इनको तम्बाकू की हानिकारक लत से रोकना तथा इसके परिष्करण को सीमित करना और इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना है।

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के परिसर एवं आस-पास तम्बाकू उत्पाद जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी इत्यादि की बिक्री की जाती है। इससे कम आयु के युवाओं एवं छात्रों में धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन की लत को बढ़ावा मिलता है। युवाओं को तम्बाकू उत्पाद की पहुंच से बचाने के लिए भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-6 में यह प्रावधान है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है साथ ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान के आसपास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु कानूनी प्रावधान

भारत सरकार के द्वारा तम्बाकू उपभोग में कमी लाने के लिए सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम – कोटपा 2003 लागू किया गया। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – कोटपा, 2003 की मुख्यतः चार धाराओं का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। कोटपा-2003 की चारों धाराओं को विस्तार से निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:-

धारा	उद्देश्य / तर्क	उल्लंघन	जुर्माना एवं कारावास
धारा 4	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Second Hand Smoking) को कैसे रोका जाये।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है।	200 रुपये तक जुर्माना
धारा 5	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि तम्बाकू उत्पादों के प्रति लोगों खास तौर पर बच्चों एवं युवाओं में आकर्षण को कम किया जा सके।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं तम्बाकू कम्पनियों द्वारा किसी इवेंट का प्रायोजन अथवा स्पॉन्सरशिप करना प्रतिबंधित है।	प्रथम उल्लंघन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 02 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों। द्वितीय बार अथवा अगले बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना अथवा 05 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों।
धारा 6A	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अवयस्कों को तम्बाकू के लत से बचाया जा सके	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6A के अनुसार किसी भी अवयस्क या बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनसे बिकवाना	200 रुपये तक जुर्माना
धारा 6B	ताकि आने वाली पीढ़ी तम्बाकू के दुष्परिणामों से बच सकें।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6B के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।	200 रुपये तक जुर्माना

धारा	उद्देश्य / तर्क	उल्लंघन	जुर्माना एवं कारावास
धारा 7	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अशिक्षित वर्ग के लोगों को जिन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता है, वे तम्बाकू के दुष्परिणामों को चित्र के माध्यम से देख एवं समझ सकें एवं सचेत हो सकें।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के मुख्य भागों पर 85 प्रतिशत हिस्से पर चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना नहीं बेचा जा सकता है।	निर्माता अथवा उत्पादनकर्ता पर प्रथम बार उल्लंघन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना अथवा 02 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों।

नोट:- बच्चों एवं अवयस्कों से संबंधित कोटपा की धारा 6 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारियों की सूची **अनुलग्नक II** पर उपलब्ध है। साथ ही, उल्लंघनकर्ताओं को जुर्माना किये जाने पर दिये जाने वाली रसीद का नमूना **अनुलग्नक III** पर दिया गया है।

बिहार राज्य में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम – कोटपा, 2003 की विभिन्न धाराओं का प्रभावकारी अनुपालन हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के अंतर्गत कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (STCCC) का गठन किया गया है। साथ ही, सभी जिलों में कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) गठित है। राज्य सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा – 2003) के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु सभी जिलों में जिला, अनुमंडल तथा प्रखण्ड स्तर पर त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया गया है।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु अन्य कानूनी प्रावधान

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (धारा 77)

किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि धारा 77 के अंतर्गत 16 वर्ष से कम के अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत धारा 107(1) के तहत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

जहरीला धुआँ हमारे पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है जिससे लोगों के अलावा बाहरी लोगों को भी इसका भार झेलना पड़ता है, अधिनियम में उल्लेखित है कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011-2.3.4

इस कानून के बिन्दु 2. 3. 4 में कहा है कि खाद्य उत्पादों में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक हो :- तम्बाकू और निकोटिन भी किसी खाद्य पदार्थ का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए।

किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू या निकोटिन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चन्यायालय के आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23-9-16 के अनुसार पान मसाला एवं तम्बाकू के अलग-अलग पैकेटों को एक साथ स्टेपल कर या Joint pack में अथवा पान मसाला एवं तम्बाकू के एक साथ संयुक्त कर नहीं बेचा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 41 एवं 42 के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 272 एवं 273 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन के उपनिरीक्षक और इनके उपर के अधिकारी जुर्माना कर सकते हैं।

ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940

इस कानून के अन्तर्गत 1992 में सभी डेन्टल उत्पादों में तम्बाकू का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है।

केबल टेलिविजन नेटवर्क एक्ट 2000

इसके अन्तर्गत केबल टेलिविजन, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबन्धित है।


भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268, 269, 278

उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत भी तम्बाकू उपयोग को नियंत्रित किया जा सकता है।

**तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान
हेतु की जाने वाली गतिविधियाँ**

गतिविधि – 1: शैक्षणिक संस्थान परिसर के अन्दर सभी प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एवं धूम्रपान रहित क्षेत्र के संकेत बोर्ड का प्रदर्शन।

शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार के बाहर चारदीवारी पर नीचे दिये गये संकेत बोर्ड के अनुरूप “तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” का बोर्ड अथवा दीवार लेखन सहज अवलोकनीय स्थान पर दर्शाया जाए।



इसी प्रकार “विद्यालय परिसर में प्रत्येक मंजिल के विशिष्ट स्थान पर नीचे दिए गए संकेत बोर्ड के अनुरूप “धूम्रपान निषेध” का बोर्ड अथवा दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना है।



- संकेत बोर्ड का आकार :- कम से कम 60 सेमी X 45 सेमी रहेगा। संकेत बोर्ड का रंग:- उपरोक्त नमूने के अनुसार रंग होगा।
- तम्बाकू मुक्त / शिक्षण संस्थान एवं धूम्रपान निषेध का संकेत, बोर्ड बनवाकर दीवार पर लगाया जा सकता है या इसका दीवार लेखन भी कराया जा सकता है।
- यदि संभव हो तो शैक्षिक संस्थानों में संदेश को ऊपर दिये गये निर्देश की भाषा में या स्थानीय भाषा/बोली में संदेश लिखकर संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिंग के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिंग को परिसर में अन्दर एवं बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार, कार्यालय के सूचना पट, और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ संस्थान प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।
- साथ ही, शिक्षण संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाना है। उक्त कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि इत्यादि शामिल होने चाहिए। शिक्षण संस्थानों में स्टाफ सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को “टोबैको मॉनिटर” के रूप में नामित किया जाना है। यदि विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किया जाता है तो यह ध्यान में रखा जाये कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का प्रयोग करने वाला नहीं हो। विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबैको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किए जाएं।

गतिविधि – 2 : शैक्षणिक संस्थान के सभी प्रवेश द्वार के बाहर चार दीवारी पर “तम्बाकू मुक्त परिसर” के संकेत बोर्ड का प्रदर्शन।

← 60 से.मी. →

स्वास्थ्य विभाग  बिहार सरकार

यह परिसर/भवन तम्बाकू मुक्त है

इस परिसर में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग करना एवं यत्र-तत्र थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

पकड़े जाने पर रुपये 200/- तक का जुर्माना या 6 माह तक का कारावास अथवा दोनों किया जाएगा।

इसके उल्लंघन की सूचना टॉल फ्री नं. **104** पर दें।





तम्बाकू की लत छोड़ने के लिए टॉल फ्री नं. 1800112356 पर सम्पर्क करें या 01122901701 पर मिस्ड कॉल करें।





SHSBihar
BiharHealthDepartment



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014



www.statehealthsocietybihar.org



@BiharHealthDepartment



45 से.मी.

संकेत बोर्ड के लिए आवश्यक निर्देश:

- संकेत बोर्ड का आकार :- कम से कम 60 से.मी. X 45 से.मी. रहेगा
- संकेत बोर्ड का रंग:- उपरोक्त नमूने के अनुसार रंग होगा।
- तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का संकेत, बोर्ड बनवाकर सभी प्रवेश द्वार के बाहर दीवार पर टांगा जा सकता है या दीवार लेखन किया जा सकता है।
- यदि संभव हो तो शैक्षिक संस्थानों में उक्त बोर्ड को ऊपर दिये गये निर्देश की भाषा में तथा स्थानीय भाषा/बोली में संदेश लिखकर संकेत बोर्ड/दीवार लेखन के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार पेंटिंग को परिसर से बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, मुख्य प्रवेश द्वार और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।

गतिविधि – 3: तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण उपलब्ध नहीं होना, जैसे कि सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा/तम्बाकू के पाउच, थूक के धब्बे आदि प्राप्त नहीं होना।

शैक्षणिक संस्थान परिसर के अन्दर सिगरेट/बीड़ी के जले हुए टुकड़े/तम्बाकू उत्पादों गुटखा का खाली रैपर/खैनी के पीक के दाग-धब्बे आदि फेंकने जैसे तम्बाकू उत्पादों का अवशेष के रूप में साक्ष्य नहीं मिलना चाहिए। उक्त आशय का संदेश परिसर में विभिन्न स्थानों पर चिपकाया जाना है। नीचे दिए गए बॉक्स के अनुरूप संदेश को परिसर में सूचना पट पर चिपकाएं:-

आवश्यक सूचना

तम्बाकू उत्पादों जैसे सिगरेट/बीड़ी बड्स या तम्बाकू उत्पादों के रैपर, खाली पैकेट्स आदि का फेंकना तथा तम्बाकू सेवनकर थूकना पूर्णतः वर्जित है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

यदि आप ऐसा कोई उल्लंघन देखते हैं; तो कृपया निम्नलिखित नामित व्यक्ति को सूचित करें-

मॉनिटर का नाम

पदनाम

सम्पर्क सूत्र/मोबाईल नं.

आवश्यक निर्देश:

- चूँकि परिसर में तम्बाकू उत्पादों का सेवन मना है। इसलिए यदि तम्बाकू उपयोग के बाद उसके अवशेष परिसर में मिलते हैं तो यह समझा जायेगा कि तम्बाकू का प्रयोग परिसर में हुआ है।
- परिसर को स्वच्छ रखें। यह हमेशा ध्यान रखें कि तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के बाद उसके बचे हुए अवशेष परिसर में दिखाई नहीं देना चाहिए।
- यदि संभव हो तो शिक्षण संस्थान में संदेश को निर्देश की भाषा में तथा स्थानीय भाषा में संदेश लिखकर संकेत पट/संकेत बोर्ड/दीवार लेखन के रूप में दिखा सकते हैं।
- संकेत बोर्ड/दीवार लेखन को परिसर से बाहर प्रमुख स्थानों जैसे चारदीवारी, सभी प्रवेश द्वार, कार्यालय के सूचना पट, और ऐसे स्थानों पर दिखाया जा सकता है, जहाँ प्रबंधन को लगता है कि यह इच्छित संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है।
- संकेतों पर तम्बाकू मॉनिटर के नाम, पदनाम, और मोबाइल संख्या लिखा होना चाहिए।



गतिविधि – 4: शिक्षण संस्थान परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों से सम्बन्धित पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन।

तम्बाकू शरीर के लगभग प्रत्येक अंग को क्षति पहुँचाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों की जानकारी पोस्टर, चार्टस आदि को बोर्ड, क्लिप बोर्ड या अन्य सुलभ साधन के माध्यम से शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर किसी भी दीवार या ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है, जहाँ संस्थान प्रबंधन को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उक्त पोस्टर, चार्टस एवं जागरूकता सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं। पोस्टर, चार्ट एवं जागरूकता सामग्री का नमूना नीचे दिया गया है।

तंबाकू नियंत्रण कानून

का पालन करें या जुर्माने का/तथा जेल का सामना करें

कमरेदारों को और गण्डियों को तंबाकू रखने पर प्रतिबंध

किसी शैक्षिक संस्था को 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध

सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध

हर सांस कीमती है
धूम्रपान पर लगाम!
टी०बी० पर लगाम!!

- बहुत से समय से पहले होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण टीबी है।
- धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में टी.बी. होने का खतरा 3 गुना अधिक होता है।
- धूम्रपान करने वाले किसी अधिक शीर्ष-सिगरेट पीते हैं जैसे टी.बी. होने का खतरा उन्हीं ही अधिक होता है।

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

ऐसे दोस्तों से दोस्ती किस काम की जो कदमों से दोस्ती भीत करें?

जुरा लीजिये।

तम्बाकू छोड़िए आज ही!

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

सावधान...

तंबाकू आपको नपुंसक बना सकता है

- बसमाकू शुष्कपान
- शुष्कपानों की संख्या घटाना
- धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में नपुंसक होने की संभावना करीब 85% अधिक होती है।

तंबाकू छोड़िए आज ही!

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

तंबाकू छोड़िए, अच्छी संज्ञा से जुड़िए।

तंबाकू छोड़ने के फायदे

- अपने हृदय की रक्तवाहक शक्ति को बचाए रखें।
- अपने शरीर में बसमाकू को कम करने में मदद करें।
- अपने शरीर को तंबाकू के नुकसान से बचाए रखें।
- अपने शरीर को तंबाकू के नुकसान से बचाए रखें।
- अपने शरीर को तंबाकू के नुकसान से बचाए रखें।

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

क्या आप जानते हैं? तम्बाकू में मौजूद 4000 जहरीले तत्व इन बिमारियों का कारण बन सकते हैं...

- हृदय की रक्तवाहक शक्ति
- मस्तिष्क
- दाँतों में दाढ़
- फेफड़े का खतरा
- श्वसन तंत्र की बीमारी
- श्वसन तंत्र की बीमारी
- श्वसन तंत्र की बीमारी
- श्वसन तंत्र की बीमारी
- श्वसन तंत्र की बीमारी

...क्या आप बिमारियों भरी जिन्दगी एमम् दर्दनाक मौत चाहेंगे?

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

तम्बाकू सेवन करने वालों के लिए इनामी योजना

तम्बाकू सेवन करो- पुरस्कार पाओ

योजना अवधि - जीवन पर्यन्त

प्रथम पुरस्कार - कैंसर

द्वितीय पुरस्कार - हार्ट अटैक

तृतीय पुरस्कार - मुँह खुलना बंद

चतुर्थ पुरस्कार - छाँसी/ दमना

पाँचवाँ पुरस्कार - नामर्दा / बाँझपान, गर्भपात

बम्पर पुरस्कार- राम नाम सत्य है

कार्य धारित स्थल

देवरे केकराम, बस स्टैंड, पार्क की दुकान, कुल्पाय के किाटे टॉल्लों पर पुरस्कार स्थल - इमलाख पाट मुख्य अतिथि - चमराज

तम्बाकू छोड़ना सम्भव है

तम्बाकू छोड़ने का कोई समय निर्धारित नहीं है, इसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। तम्बाकू छोड़ने के लिए कुछ सुझाव:

- तम्बाकू सेवन सारी वस्तुओं से पहले शुरू करें।
- सप्ताह में तम्बाकू रहित एक दिन की शुरुआत करें और धीरे-धीरे छोड़ने रहें।
- अपने रोजाना के कार्यक्रम में तबदीली लाएं और सुबह सैर के लिए जाएं।
- ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जो आपकी आदत छोड़ने में मदद करें।
- अपने पास सौफ, मिश्री, लौंग या इलायची रखें।
- तालव लगाने पर 4 बातें ध्यान रखें:
 - ✓ तम्बाकू के उपयोग में देर करें।
 - ✓ लम्बी साँसे लें।
 - ✓ धीरे-धीरे पानी पियें।
 - ✓ अपना ध्यान दूसरी ओर लगाएं।
- उन जगहों और लोगों से दूर रहें, जो तम्बाकू की तालव की याद दिलाएँ।
- अपना इशारा पकना रखें।

क्या आप तम्बाकू/धूम्रपान की आदत से परेशान हैं? यदि आप इस बात को छोड़ना चाहते हैं तो अपने जिला अर्चार्त तम्बाकू विमुक्ति केंद्र (TCC) पर सम्पर्क करें।

भारत सरकार द्वारा संचालित टॉल फ्री नं० 1800-11-2356 पर कॉल करें।

अपने मोबाईल नं० से दूरभाष 011-22901701 पर मिसड कॉल करें।

जिन्दगी चुनो। तम्बाकू नहीं!!

गतिविधि-5: विगत छह (06) माह की अवधि में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन।

शिक्षण संस्था तंबाकू नियंत्रण हेतु अपने-अपने संस्थानों में निम्नांकित गतिविधियों का संचालन करेंगी :-

- प्रार्थना सभा में तंबाकू के उपयोग के विरुद्ध सामूहिक शपथ लेना। शपथ-पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक-IV** पर उपलब्ध है।
- विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा- पोस्टर/ निबंध स्लोगन/ क्विज़/ वाद – विवाद का आयोजन करना तथा उक्त आधार पर बने पोस्टर और स्लोगन को सहज अवलोकनीय स्थानों पर प्रदर्शित करना।
- तंबाकू नियंत्रण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों/ शिक्षकों/ अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा-पत्र प्रदान करना। प्रार्थना सभा तथा बाल सभाओं में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आमंत्रित कर तंबाकू नियंत्रण हेतु लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दिलवाना।



गतिविधि- 6: शिक्षण संस्थान परिसर में लगे सइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना चाहिए।

प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में स्टाफ सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को "टोबैको मॉनिटर" के रूप में नामित किया जाना है। यदि विद्यार्थी को टोबैको मॉनिटर नामित किए जाता है तो यह ध्यान में रखा जाये कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का सेवन नहीं करता हो। टोबैको मॉनिटर की जिम्मेवारी होगी कि विद्यालय परिसर में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का तम्बाकू सेवन नहीं करें साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन नहीं हो। विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर निम्नांकित प्रारूप के अनुरूप टोबैको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किया जाना है।

मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र

मॉनिटर का नाम

पदनाम

सम्पर्क सूत्र/मोबाईल नं.

शिक्षण संस्थान का नाम

गतिविधि- 7: "तम्बाकू उपयोग नहीं करने" के नियम शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित करना।

संस्थान प्रबंधन, शिक्षण संस्थान परिसर में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान/तंबाकू का उपयोग नहीं करने देगा; उक्त पर नजर रखने हेतु **नो टोबैको यूज आचार संहिता** तैयार करेगी तथा उक्त आचार संहिता के उल्लंघन पाये जाने पर उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

शिक्षण संस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति यथा- विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य कर्मचारी, निजी/सरकारी शिक्षण संस्थानों में अस्थाई रूप से कार्य हेतु आने वाले, बस ड्राइवर, अभिभावक तथा पीटीएम सदस्य विद्यालय परिसर में धूम्रपान करता हुआ अथवा तम्बाकू तथा तंबाकू उत्पादों का सेवन करता हुआ अथवा इस हेतु प्रेरित करता हुआ या तम्बाकू उत्पाद वितरित करता हुआ पाया जाता है, तो कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय है। इस हेतु उक्त धारा के सेक्सन 21 के तहत 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरूप वसूल की जा सकती है। उक्त प्रतिबन्ध का पुनः उल्लंघन करते हुए पाये जाने की अवस्था में सम्बन्धित विद्यार्थी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) में विहित प्रावधानों के अनुरूप तत्काल निर्दिष्ट कार्रवाई सम्पादित किया जायेगा।

शिक्षण संस्थान प्रबंधन तम्बाकू की लत से ग्रसित व्यक्तियों को इस लत से मुक्त कराने हेतु उन्हें तम्बाकू विमुक्ति सेवा (Tobacco Cessation Service) का उपयोग लेने हेतु प्रेरित करेगा। उक्त सेवाओं के बारे में जानकारी स्थानीय सदर अस्पताल के तम्बाकू विमुक्ति केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई विद्यार्थी/शिक्षक/स्टाफ सदस्य तंबाकू का सेवन करने वाले किसी व्यक्ति को इस लत से मुक्त करवाता है, तो उस व्यक्ति को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई) या अन्य वार्षिक उत्सव में पारितोषिक प्रदान किया जायेगा।

शिक्षण संस्थान ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, जिसमें तंबाकू उत्पाद बनाने वाली अथवा बिक्री करने वाला व्यापारिक संस्थान या कंपनी प्रायोजक अथवा सहभागी हो। विद्यालय में होने वाले किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्माण कार्य हेतु तंबाकू उद्योग या उससे सम्बन्धित व्यापारिक संस्थानों या कंपनियों को प्रायोजक नहीं बनाया जायेगा। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी तंबाकू उद्योग या उससे सम्बन्धित संस्थानों या कंपनियों द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार ग्रहण नहीं करेंगे।

सभी शिक्षण संस्थान प्रबंधन अपने स्तर पर विस्तृत 'नो टोबैको यूज' आचार संहिता तैयार करेगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा तैयार किये जाने वाले 'नो टोबैको यूज' आचार संहिता का प्रारूप सुलभ संदर्भ हेतु नीचे बॉक्स में दिया गया है।

शिक्षण संस्थान हेतु नो टोबैको यूज आचार संहिता (नीतियों)का प्रारूप

- ✓ स्कूल की संपत्ति पर, स्कूल के वाहनों में, और स्कूल प्रायोजित समारोहों में तंबाकू का उपयोग सख्त वर्जित है।
- ✓ तंबाकू या तंबाकू सामग्री (लाइटर और माचिस सहित) रखना सख्त वर्जित है।
- ✓ स्कूल भवनों, स्कूल समारोहों, या स्कूल प्रकाशनों में किसी भी रूप में तंबाकू के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।
- ✓ तंबाकू कंपनियों द्वारा स्कूल से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का किसी भी रूप में समर्थन या प्रायोजन सख्त वर्जित है।
- ✓ स्कूल में या सार्वजनिक संपत्ति पर, पहने जाने वाले कपड़े और अन्य परिधान किसी भी रूप में तंबाकू, तंबाकू कंपनियों, या तंबाकू के उपयोग के विज्ञापन, समर्थन या निहितार्थ प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यह नीति छात्रों और कर्मचारियों और अभिभावकों और स्कूलों में आने वाले आगंतुकों पर लागू होती है।
- ✓ स्कूल की संपत्ति/परिसर के 100 गज के भीतर, तंबाकू की बिक्री, वितरण, स्थानांतरण सख्त वर्जित है।
- ✓ स्कूल के दिनों में कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को तंबाकू के सेवन से बचने के संबंध में उपयुक्त निर्देश प्राप्त करना आवश्यक है।
- ✓ तंबाकू सेवन करने वाले सभी छात्रों और कर्मचारियों को स्कूल के अंदर तंबाकू की लत छोड़ने हेतु स्कूल के अंदर सहायता प्रदान कराना आवश्यक है, ताकि उन्हें तंबाकू की लत छोड़ने में मदद मिल सके।

गतिविधि- 8: शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल/बाहरी चारदीवारी के 100 गज के दायरे का रेड लाईन के माध्यम से चिन्हीकरण करना।

शिक्षण संस्थानों के द्वारा रेड लाईन (Red Line) कैम्पेन चलाकर परिसर से 100 गज की दूरी का निर्धारण शिक्षण संस्थान परिसर के बाउंड्री वॉल/बाहरी चारदीवारी के बाहर सभी दिशाओं में किया जाना है। उक्त रेड लाईन रेखांकन करने में तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों या अन्य किसी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न होने पर शिक्षण संस्थान के प्रबंधक द्वारा स्थानीय प्रशासन/थाना की सहायता प्राप्त की जा सकती है। "शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध का उल्लंघन कोटपा 2003 की धारा 6 (B) के अंतर्गत दंडनीय है" का बोर्ड लगाया जाना है, जो नीचे दिये गये फोटो में दिखाया गया है। इसके उल्लंघन करने वालों से शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरुप वसूल करने हेतु प्राधिकृत हैं।



गतिविधि – 9: शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की दुकान नहीं होना चाहिए।

शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई तम्बाकू उत्पाद बिक्री का कोई दुकान नहीं होना चाहिए। अगर 100 गज के दायरे में दुकान अवस्थित है तो उसे स्थानीय प्रशासन या ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सहायता से हटवाया जाना है। शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य या उनके द्वारा नामित व्यक्ति उक्त दुकानदार से 200 रुपये तक की राशि दण्ड स्वरूप वसूल करने हेतु प्राधिकृत हैं।



तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) दिशा निर्देशों के अनुपालन का स्व-मूल्यांकन

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) की गाईडलाईन के सभी प्रावधानों को लागू करने के उपरान्त सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक संस्थान में अर्द्धवार्षिक आधार पर स्व-मूल्यांकन करेंगे, तथा उक्त स्व-मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक एवं मॉनिटर के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे। प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुलग्नक-V** पर उपलब्ध है। स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र के सत्यापन उपरान्त मूल्यांकन में 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाएं ToFEI पुरस्कार योजना में सम्मिलित की जायेगी। उक्त शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार के द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई) को प्रसस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए स्व-मूल्यांकन स्कोर कार्ड Self-Evaluation Scorecard for Tobacco Free Educational Institution			
शिक्षण संस्थान का नाम / Name of the Educational Institution :			
मूल्यांकनकर्ता का नाम व पद / Name and Designation of Evaluator :			
स्व-मूल्यांकन की तारीख / Date of Self Evaluation :			
स्व-मूल्यांकन का स्कोर / Self Assessment Score :			
क्रम सं. Sl. No.	मापदण्ड / Criteria	महत्व बिन्दु / Weightage Points	संस्थान के प्राप्तांक Scored Points by the Institute
1.	शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर प्रमुख स्थानों पर "तम्बाकू मुक्त परिसर" के बोर्ड प्रदर्शित किया गया है। Display of 'Tobacco Free Area' Signage inside the premise of Educational Institute at all prominent place (s).	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
	नाम / पदनाम / सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुए साइनेज का प्रदर्शन किया गया है। The name/designation/contact number are mentioned / updated in the signage	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
2.	शिक्षण संस्थान के प्रवेश द्वार / बाउंड्री वाल पर "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" का बोर्ड प्रदर्शित किया गया है। Display of "Tobacco Free Education Institution" signage at entrance/ boundary wall of Educational Institute.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
	नाम / पदनाम / सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुए साइनेज का प्रदर्शन किया गया है। The name/designation/contact numbers are mentioned in the signage.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
3.	तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण नहीं होना जैसे कि सिगरेट / बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा / तम्बाकू के पाउच, थूक के धब्बे का नहीं पाया जाना। Cigarette/beedi butts or discarded gutka / tobacco pouches, spitting spots not found inside the premises.	अनिवार्य (10) Mandatory (10)	
4.	परिसर में तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के सम्बंध में पोस्टर व अन्य जागरूकता सामग्री प्रदर्शन किया गया है। Poster or other awareness materials on harms of tobacco displayed in the premise.	9	
5.	विगत 6 महीने में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम एक गतिविधि का आयोजन। Organisation of at least one tobacco control activity during last 6 months.	9	
6.	साइनेज में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम और सम्पर्क सूत्र लिखा होना चाहिए। Designation of Tobacco Monitors and their names, designations, and contact number are mentioned on the signages	9	
7.	"तम्बाकू उपयोग न करने के नो टोबैको यूज आचार संहिता (नीतियों) शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित है। Inclusion of "No Tobacco Use" policy in the EI's code of conduct.	9	
8.	शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल के बाहरी भाग में 100 गज के दायरे (रेड लाईन) का चिन्हीकरण किया गया है। Marking of Red Line with in 100 yards area from the outer limit of boundary wall / fence of the Educational Institution.	9	
9.	शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकान नहीं होना। No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute.	9	

अनुलग्नक

GYTS-4 | GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY

FACT SHEET
BIHAR 2019

GYTS Objectives

The Global Youth Tobacco Survey (GYTS), a component of the Global Tobacco Surveillance System (GTSS), is a global standard for systematically monitoring youth tobacco use (smoking and smokeless) and tracking key tobacco control indicators.

GYTS is a cross-sectional, nationally representative school-based survey of students in grades associated with ages 13 to 15 years. GYTS uses a standard core questionnaire, sample design, and data collection protocol. It assists countries in fulfilling their obligations under the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to generate comparable data within and across countries. WHO has developed MPOWER, a technical package of selected demand reduction measures contained in the WHO FCTC:



- Monitor tobacco use & prevention policies
- Protect people from tobacco smoke
- Offer help to quit tobacco use
- Warn about the dangers of tobacco
- Enforce bans on tobacco advertising, promotion, & sponsorship
- Raise taxes on tobacco

GYTS Methodology

GYTS uses a global standardized methodology that includes a two-stage sample design with schools selected with a probability proportional to enrollment size. The classes within selected schools are chosen randomly and all students in selected classes are eligible to participate in the survey. The survey uses a standard core questionnaire with a set of optional questions that countries can adapt to measure and track key tobacco control indicators. The questionnaire covers the following topics: tobacco use (smoking and smokeless), cessation, secondhand smoke (SHS), pro- and anti-tobacco media messages and advertisements, access to and availability of tobacco products, and knowledge and attitudes regarding tobacco use. The questionnaire is self-administered; using paper sheets, it is anonymous to ensure confidentiality.

In Bihar, the GYTS-4 was conducted in 2019 as part of national survey by the International Institute for Population Sciences (IIPS) under the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The overall response rate for Bihar was 91.0%. A total of 3,184 students from 35 schools (Public-31; Private-4) participated in the survey. Of which, 2,748 students aged 13-15 years were considered for reporting.

GYTS-4 Highlights

TOBACCO USE

- 7.3% of students – 6.6% of boys and 8.0% of girls – currently used any tobacco products.
- 4.7% of students – 4.0% of boys and 5.4% of girls – currently smoked tobacco.
- 2.3% of students – 2.0% of boys and 2.5% of girls – currently smoked cigarette.
- 1.8% of students – 2.0% of boys and 1.6% of girls – currently smoked *bidi*.
- 3.2% of students – 3.3% of boys and 3.2% of girls – currently used smokeless tobacco.

CESSATION

- 24% of students – 30% of boys and 19% of girls – tried to quit smoking in the past 12 months.
- 29% of current smokers wanted to quit smoking now.
- 12% of current users of smokeless tobacco tried to quit using in past 12 months.
- 17% of current users of smokeless tobacco wanted to quit now.

SECONDHAND SMOKE

- 5.4% of students were exposed to tobacco smoke at home.
- 14% of students were exposed to tobacco smoke inside enclosed public places.

ACCESS & AVAILABILITY

- 67% of current cigarette smokers and 84% of current *bidi* smokers bought cigarettes/*bidis* from a store, *paan* shop, street vendor or vending machine.
- Among the current smokers who bought cigarette/*bidi*, 32% of cigarette smokers and 18% of *bidi* smokers were not refused because of their age.

MEDIA

- 51% of students noticed anti-tobacco messages in the mass media.
- 17% of students noticed tobacco advertisements or promotions when visiting points of sale.

KNOWLEDGE & ATTITUDES

- 62% of students thought other people's cigarette smoking is harmful to them.
- 52% of students favoured ban on smoking inside enclosed public places.

SCHOOL POLICY

- 100% of school heads – 100% in rural and 100% in urban schools – were aware of COTPA, 2003.
- 97% of school heads – 97% in rural and 100% in urban schools – were aware of the policy to display 'tobacco-free school' board.



Ministry of Health and Family Welfare
New Delhi – 110011
(Government of India)



International Institute for Population Sciences
Mumbai - 400088
(Deemed University)


TOBACCO USE	Boys (%)	Girls (%)	Rural (%)	Urban (%)	Total (%)
Any tobacco use¹ (smoked and/or smokeless)					
a. Ever tobacco users ²	20.1	22.9	21.9	15.2	21.5
b. Current tobacco users ³	6.6	8.0	7.3	7.0	7.3
Smoking tobacco⁴					
a. Ever tobacco smokers	8.7	10.1	9.4	10.0	9.4
b. Current tobacco smokers	4.0	5.4	4.6	6.9	4.7
Cigarette					
a. Ever cigarette users	4.3	5.4	4.7	7.2	4.8
b. Current cigarette users	2.0	2.5	2.1	4.4	2.3
Bidi					
a. Ever <i>bidi</i> users	3.2	3.3	3.1	5.5	3.3
b. Current <i>bidi</i> users	2.0	1.6	1.6	5.0	1.8
Smokeless tobacco					
a. Ever smokeless tobacco users	14.4	16.6	15.9	7.7	15.5
b. Current smokeless tobacco users	3.3	3.2	3.4	0.2	3.2
c. Ever users of <i>paan</i> masala ⁵ together with tobacco	1.3	0.9	1.1	0.4	1.1
Susceptibility					
a. Never cigarette smokers susceptible to cigarette use in future ⁶	10.6	16.8	13.8	11.8	13.7
Median age of initiation (in years)					
a. Cigarette	8.6	7.7	7.7	12.5	7.9
b. <i>Bidi</i>	8.7	8.3	8.3	11.8	8.5
c. Smokeless tobacco	10.5	<7	<7	--	<7
ELECTRONIC CIGARETTE⁷					
a. Awareness about e-cigarette	36.7	41.7	39.6	34.8	39.3
b. Ever e-cigarette use	2.0	1.9	1.9	3.5	2.0
CESSATION					
Smoking tobacco					
a. Ever tobacco smokers who quit in last 12 months ⁸	4.7	5.4	4.2	18.9	5.1
b. Current tobacco smokers who tried to quit smoking in the past 12 months ⁹	29.6	19.4	21.3	49.5	23.6
c. Current tobacco smokers who wanted to quit smoking now ⁹	15.4	38.3	28.8	30.0	28.9
Smokeless tobacco					
a. Ever smokeless tobacco users who quit in last 12 months ⁸	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
b. Current smokeless tobacco users who tried to quit tobacco in the past 12 months ⁹	9.6	15.0	12.4	0.0	12.4
c. Current smokeless tobacco users who wanted to quit tobacco now ⁹	9.9	24.4	17.3	0.0	17.2
SECONDHAND SMOKE (SHS)¹⁰					
a. Exposure to tobacco smoke at home/public place	20.0	17.0	17.3	37.9	18.4
b. Exposure to tobacco smoke at home	6.1	4.8	5.6	3.0	5.4
c. Exposure to tobacco smoke inside any enclosed public places ¹¹	15.8	12.9	13.3	31.8	14.3
d. Exposure to tobacco smoke at any outdoor public places ¹²	11.4	12.4	10.6	34.2	11.9
e. Students who saw anyone smoking inside the school building or outside school property	19.9	32.0	25.5	36.7	26.1

Notes: 1. Use of any form of tobacco, i.e. smoking, smokeless, and any other form of tobacco products; 2. Ever tried or experimented any form of tobacco even once; 3. Use of any form of tobacco in past 30 days; 4. Includes other form of smoking products in addition to cigarette and *bidi* such as *hookah*, cigars, cheroots, cigarillos, water pipe, *chillum*, *chutta*, *dhumri*; 5. Use of *paan* masala together with tobacco was asked directly as one of the categories of smokeless tobacco; 6. Susceptibility to future cigarette use includes those who answered "yes", or "maybe" to using tobacco products if one of their best friends offered it to them; 7. E-cigarette is part of Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) and includes like devices and other emerging products; 8. Stopped using tobacco in past 12 months; 9. Refers to current tobacco users only; 10. Secondhand smoking or passive smoking refers to exposure to other people's smoking in past 7 days; 11. Refers to schools, hostels, shops, restaurants, movie theatres, public conveyances, gyms, sports arenas, airports, auditorium, hospital building, railway waiting room, public toilets, public offices, educational institutions, libraries, etc.; 12. Refers to playgrounds, sidewalks, entrances to buildings, parks, beaches, bus stops, market places, etc.; #. the value 0.0 represent prevalence of less than 0.05.


ACCESS AND AVAILABILITY	Boys (%)	Girls (%)	Rural (%)	Urban (%)	Total (%)
Major source of tobacco products¹³					
a. Cigarette: Store	35.1	39.0	39.1	24.8	37.4
b. Cigarette: <i>Paan</i> shop	44.3	18.6	26.1	50.4	28.9
c. <i>Bidi</i> : <i>Paan</i> shop	35.6	55.8	41.1	63.6	44.8
d. <i>Bidi</i> : Store	23.7	24.4	25.4	16.8	24.0
e. Smokeless tobacco: Store	56.9	79.6	100.0	0.0	71.0
f. Smokeless tobacco: <i>Paan</i> shop	27.1	17.0	100.0	0.0	20.9
g. Current cigarette smokers who bought cigarettes from a store, <i>paan</i> shop, street vendor, or vending machine	76.8	58.8	65.7	72.8	66.5
h. Current <i>bidi</i> smokers who bought <i>bidi</i> from a store, <i>paan</i> shop or street vendor	84.6	83.1	84.6	80.4	83.9
Refused sale because of age in past 30 days					
a. Refused sale of cigarette	73.0	64.9	67.4	74.6	68.2
b. Refused sale of <i>bidi</i>	82.9	80.7	82.3	80.4	82.0
c. Refused sale of smokeless tobacco	100.0	100.0	100.1	0.0	100.0
Bought cigarette/<i>bidi</i> as individual sticks in past 30 days					
a. Cigarette	48.0	56.1	47.4	93.7	52.8
b. <i>Bidi</i>	23.8	40.1	29.9	38.2	31.2
MEDIA AND ANTI-TOBACCO MESSAGES					
Anti-tobacco advertising in past 30 days					
a. Students who noticed anti-tobacco messages anywhere ¹⁴	66.2	69.0	66.3	90.4	67.6
b. Students who noticed anti-tobacco messages in the mass media ¹⁵	51.7	50.7	49.2	84.2	51.2
c. Students who noticed anti-tobacco messages at sporting, fairs, concerts, community events or social gatherings ¹⁶	38.8	30.2	33.8	44.8	34.4
d. Students who noticed health warnings on any tobacco product/cigarette packages	21.7	22.0	21.6	26.8	21.8
Tobacco advertising in past 30 days					
a. Students who saw tobacco advertisement anywhere ¹⁷	64.3	67.1	64.2	91.5	65.7
b. Students who saw anyone using tobacco on mass media ¹⁵	59.4	62.7	59.3	91.1	61.1
c. Students who noticed cigarette advertisements/promotions at point of sale ¹⁸	17.9	16.6	17.4	14.4	17.3
Anti-tobacco message					
a. Students who were taught in class about harmful effects of tobacco use during past 12 months	38.3	40.6	39.4	40.3	39.4
KNOWLEDGE AND ATTITUDE					
a. Students who thought it is difficult to quit once someone starts smoking tobacco	19.3	25.6	22.1	30.1	22.5
b. Students who thought other people's tobacco smoking is harmful to them	59.3	64.3	60.4	85.1	61.8
c. Students who favoured ban on smoking inside enclosed public places	54.5	50.0	50.4	81.5	52.2
d. Students who favoured ban on smoking at outdoor public places	57.8	53.3	53.7	85.5	55.5
SCHOOL POLICY ON TOBACCO USE¹⁹					
a. School heads aware of COTPA ²⁰ , 2003			100.0	100.0	100.0
b. Schools authorized by the state government to collect fine for violation under Section-6 of the COTPA, 2003			35.5	50.0	37.1
c. Schools followed 'tobacco-free school' guidelines			93.6	100.0	94.3
d. Schools aware of the policy for displaying 'tobacco-free school' board			96.8	100.0	97.1

Notes: 13. Refers to source of obtaining tobacco products by current users at the time of last use in past 30 days and the two major sources are given here, therefore, these two figures may not add upto 100% as there are other sources; 14. Includes any form of mass media, fairs, concerts, sporting, community events or social gatherings, tobacco products packages and taught in class; 15. Mass media includes television, radio, internet, billboards, posters, newspapers, magazines, movies, etc.; 16. Social events include sports events, fairs, concerts, community events, social gatherings etc.; 17. Includes any form of media or point of sale; 18. Point of Sale includes any stores, grocery shops, *paan* shops etc.; 19. Unit of analysis is the school (unweighted); 20. Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.


Places of usual smoking (%)



Reasons for quitting tobacco (%)



Ever used or ever heard about Tobacco Quitline (%)



For more information please contact: International Institute for Population Sciences (IIPS), B.S. Devshi Marg (Govandi Station Road), Deonar, Mumbai – 400088.
Visit our website: <http://www.iipsindia.ac.in> Tel.: +91 22 4237 2400; Fax: +91 22 2556 3257 or Email: director@iipsindia.ac.in;

कोटपा 2003 की धारा 6 के प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत अधिकारी

उक्त कानून के उल्लंघनकर्ताओं पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

निम्नलिखित पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) की धारा 6A और 6B के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत हैं।

कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति-

क्र.	विभाग/कार्यालय	प्राधिकृत अधिकारी
1.	शैक्षणिक संस्थान	शैक्षणिक संस्थान के कुलपति अथवा निदेशक अथवा प्रधानाध्यापक अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति
2.	श्रम संसाधन विभाग	सहायक श्रमायुक्त एवं उनसे वरीय सभी पदाधिकारी
3.	खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग	राज्य खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन में उपनिरीक्षक रैंक एवं उनसे वरीय सभी पदाधिकारी
4.	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) या ऊपर के रैंक के सभी पदाधिकारी
5.	पुलिस	पुलिस उपनिरीक्षक अथवा ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी
6.	नगर निकाय	नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7.	पंचायती राज संस्थान	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत सचिव
8.	जिला स्वास्थ्य समिति (DHS)	जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं वित्त प्रबंधक
9.	स्वास्थ्य विभाग	निदेशक प्रमुख, सभी स्वास्थ्य निदेशक एवं उप निदेशक, जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला अस्पताल के अधीक्षक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.) के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
10.	विकास प्रखण्ड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO) प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी (BEO)
11.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी

ध्यान रखें कि:-

- ✓ तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नाबालिगों को एवं उनके द्वारा नहीं की जाए।
- ✓ शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की दुकान नहीं हो।
- ✓ बच्चों को तम्बाकू उत्पाद के मुक्त नमूने नहीं बाँटे जाएं।
- ✓ तम्बाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाए, जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद सहजता से उपलब्ध हो।



GOVERNMENT OF BIHAR

Health & Family Welfare Department
(State Health Society, Bihar)



Book No.

Serial No.

Cigarettes and Other Tobacco Products Act - 2003

Enforced By Dept.

CASH RECEIPT FOR SPOT FINE

Date :

Name

Address

.....

Section under which offenders are punished

<input type="checkbox"/> Violation Section 4	Fine Amount
<input type="checkbox"/> Violation Section 6A	
<input type="checkbox"/> Violation Section 6A	
<input type="checkbox"/> Others	
	Rs.

Name & Designation
of the Authorized Officer

Signature of
Authorized Officer

तम्बाकू रहित जीवन हेतु शपथ-पत्र

मैं (नाम)

इस तथ्य को जानता/जानती हूँ कि तम्बाकू सेवन, देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। हर साल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 रोगी तम्बाकू सेवन के कारण मरते हैं। लगभग 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू सेवन करनेवाले व्यक्तियों में पाया जाता है।

अतः मैं, सत्यनिष्ठा से शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं जीवन पर्यन्त तम्बाकू का सेवन नहीं करूंगा/करूंगी। साथ ही, मैं दूसरों को भी तम्बाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक बनाने और तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने का वचन देता/देती हूँ। मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने विद्यालय, घर, समाज एवं समुदाय को तम्बाकू-मुक्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रयोग करूंगा/करूंगी।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र

शिक्षण संस्थान का नाम

शिक्षण संस्थान का पता

मैं (प्रधानाध्यपक का नाम)

प्रमाणित करता हूँ कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 की धारा - 6B का उपरोक्त शिक्षण संस्थान में पूर्णरूप से अनुपालन किया गया है। तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (ToFEI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट संकेत बोर्ड/दीवार लेखन प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्परिणामों एवं तम्बाकू छोड़ने के फायदे से अवगत कराया गया है। छात्र/छात्राओं के साथ-साथ शिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकगण/कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलायी गई।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रगण के द्वारा शिक्षण संस्थान परिसर को रेड लाइन (Red Line) कैम्पेन के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त संस्थान" घोषित किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति / दुकानदार शिक्षण संस्थान परिसर के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद का सेवन या बेचता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसके खिलाफ तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) की विभिन्न धाराओं सहित किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक :

प्रधानाध्यपक का हस्ताक्षर
शिक्षण संस्थान की मुहर



अनुलग्नक-VI

RAJESH BHUSHAN
Secretary
Ministry of Health &
Family Welfare

ANITA KARWAL
Secretary,
Deptt. of School Education &
Literacy,
Ministry of Education

AMIT KHARE
Secretary,
Deptt. of Higher Education
Ministry of Education

D.O. No.P.16012/16/2017-TC
18th December 2020

Dear Colleague,

Tobacco use is the single largest cause of preventable deaths and illness worldwide and kills half of its users prematurely, in their most productive age. As per the Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 2009, 14.6% of students in India, aged between 13 to 15 years, use tobacco in any form. According to the Global Adult Tobacco Survey (2016-17), 28.6% of adults (15 year and above) in India use tobacco. The tobacco epidemic is estimated to impact about 27 crore tobacco users, mostly younger generation.

2. Government of India has enacted the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulations of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA), to discourage the use of tobacco, with emphasis on protection of children and young people from being addicted to the use of tobacco. The Act and Rules provide for a ban on smoking in public places and also prohibits sale of tobacco products to or by minors and within 100 yards of an educational institution.

3. Government of India has also launched the National Tobacco Control Programme in 2007-08. School awareness programme is one of the vital components under the National Tobacco Control Programme. In 2019, this Ministry issued "the Guidelines for Tobacco Free Educational Institutions [ToFEI]", with the key objective of providing fresh momentum to implementation of tobacco control initiatives in educational institutions. These guidelines need to be implemented by educational institutions, including schools, colleges/institutes for higher or professional education and universities, both in public and private sector. *A copy of Guidelines is enclosed.*

contd. 2/-


4. The ToFEI Guidelines lay down the roles & responsibilities of different stakeholders viz. Central Government; State Governments; Educational Institutions and Civil Society Organizations for making the Educational Institutions tobacco free. States are requested to implement this initiative as a priority and issue necessary instructions for implementing these guidelines in all educational institutions.

5. We sincerely hope and believe that through effective coordination between State Education and Health Departments, the "Tobacco Free Educational Institution" initiative will be successful. The effective implementation of ToFEI will go a long way in shaping the behavior of children and young adults, by sensitizing them to the harmful effects of tobacco use and create a healthy and tobacco free environment.

Yours sincerely,



(Rajesh Bhushan)


(Anita Karwal)
16.12.2020
(Amit Khare)

Encls. : A/a

To,

1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Health - All States/UTs.
2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Medical Education- All States/UTs.
3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - School Education - All States/UTs.
4. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Higher Education - All States/UTs.
5. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary - Technical Education - All States/UTs.

पत्रांक-04 / वि0-16-22 / 2021.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार (भा0प्र0से0),
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक

विषय: छात्रों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचाने एवं तम्बाकू से दूर रखने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर सरकारी) में ToFEI (Tobacco Free Educational Institution) Guidelines के अनुपालन के संबंध में।

महाशया/महाशय,

तम्बाकू सेवन मुँह एवं गले के कैंसर का प्रमुख कारण है। भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो रही है। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में से 40 रोगी तम्बाकू सेवन के कारण मरते हैं। लगभग 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तम्बाकू सेवन करने वाले व्यक्तियों में होता है। बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 25.9% है जिसमें से 23.5% लोग चबाने वाले तम्बाकू का सेवन करते हैं।

तम्बाकू उद्योग अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से एवं प्रायोजित कार्यक्रम के द्वारा बच्चों एवं अवयस्कों को आकर्षित करने में संलिप्त है। Global Youth Tobacco Survey-2019 के अनुसार बिहार में 13-15 वर्ष के 7.3% बच्चे किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। अतः आने वाली युवा पीढ़ी को तम्बाकू के सेवन से बचाना आवश्यक है।

तम्बाकू के बढ़ते प्रयोग को नियंत्रित एवं उपयोग को हतोत्साहित करने तथा इससे होने वाले दुष्परिणामों के प्रति आम जनमानस में व्यापक जागरूकता लाए जाने हेतु भारतीय संसद द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा-2003) पारित किया गया है। कोटपा-2003 की धारा 6B के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर तम्बाकू मुक्त घोषित है तथा इसके 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।

भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं में ToFEI Guidelines के क्रियान्वयन के संबंध में निदेश प्राप्त हुए हैं। विदित है कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों में सोशियो इकनोमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के तकनीकी सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। विगत दिनों राज्य स्तर पर सीड्स के द्वारा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ToFEI Guidelines के अनुपालन हेतु सभी जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

आपसे आग्रह है कि जिला स्तर पर सभी शिक्षण संस्थाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में तम्बाकू नियंत्रण हेतु ToFEI Guidelines के प्रावधानों को लागू करवाने एवं तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए एक नोडल शिक्षक नामित किया जाये। साथ ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नोडल शिक्षक और प्रधानाचार्य को प्रशिक्षित किया जाये। उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु सीड्स का तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है।

अतः निदेशित हैं कि अपने स्तर से जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/गैर-सरकारी) में ToFEI Guidelines को सख्ती से लागू करते हुए कोटपा-2003 की धारा 6B का प्रभावी अनुपालन कराया जाय। साथ ही अपने मासिक समीक्षात्मक बैठक में उसका अनुश्रवण किया जाए। आपके द्वारा उठाये गये इस कदम से बच्चों एवं अवयस्कों को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों से बचाया जा सकेगा।

इस पत्र के साथ मार्गदर्शिका (ToFEI Guidelines) एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त करने हेतु की जाने वाली गतिविधियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संगलग्न है।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 04/वि०-16-22/2021.....199...../पटना, दिनांक.....10/02/2022

प्रतिलिपि : सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, शिक्षा विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलॉपमेंट सोसाईटी (सीड्स) 32 पुष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति चौक, पटेल नगर, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से इसकी निगरानी करेंगे।

प्रतिलिपि : कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/2022

अपर मुख्य सचिव

हम में है दम



तम्बाकू को

न

कहें हम

क्या आप तम्बाकू / धूम्रपान की आदत से परेशान हैं ?

क्या आप इस लत को छोड़ना चाहते हैं ?

अगर ऐसा है तो कृपया सम्पर्क करें:-

Tobacco Cessation Centre
(तम्बाकू विमुक्ति केन्द्र)

सभी जिला अस्पताल का नशा मुक्ति केन्द्र

अथवा

दूरभाष नं: 1800112356 (TOLL FREE) या 011-22901701 पर मिस्ड कॉल करें

अथवा

<http://www.nhp.gov.in/quit-tobacco/registration> पर पंजीकृत कर तम्बाकू/धूम्रपान से मुक्ति की सुविधा का लाभ उठाएँ।

तम्बाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं को आगे आना होगा